पत्र संख्या-संग्रह रिकवरी इन्ट्री मोड - (2015-2016) 872/1516075 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 14, मार्च 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि विभाग द्वारा ऑनलाइन जारी होने वाले आदेशों के लिये ऑनलाइन आर0सी0 जनरेट करने हेतु माड्यूल संचालित किया जा रहा है। ऐसे सभी आदेश, जो मैनुअली निर्गत किये जा रहे हैं यथा ईंट भट्ठा समाधान योजना के आदेश, रिमाण्ड के आदेश आदि उनकी आर0सी0 जारी करने के लिए विविध आदेश का प्रारुप ऑनलाइन विकसित किया गया है जिससे इंट्री करने के पश्चात सम्बन्धित आदेशों की ऑनलाइन आर0सी0 जनरेट की जा सकती है। विविध आदेश का प्रारुप ऑनलाइन निर्गत होने पर ऑनलाइन आर0सी0 जारी होने के सम्बन्ध में माड्यूल में 45 दिन की बाध्यता नहीं है। असेसमेण्ट माड्यूल में विविध आदेश के माध्यम से आर0सी0 जेनरेट करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

1- आर0-5ए इंट्री करने के लिए सबसे पहले असेसमेण्ट टैब में रजिस्टर आर0-5ए के अन्दर आर0-5ए विकल्प में जाकर आर0-5ए की इंट्री करें।
2- आर0-5ए के वेरिफिकेशन के लिए असेसमेण्ट टैब में रजिस्टर आर0-5ए के अन्दर आर0-5ए वेरिफिकेशन के विकल्प में जाकर आर0- 5ए को वेरिफाई करें।
3- आर0-5बी जनेरेट करने के लिए असेसमेण्ट टैब में दिए गए जेनरेट नोटिस ऑर्डर लिंक पर क्लिक करें।
4- दिए गए स्क्रीन पर ई-असेसमेण्ट ऑर्डर टैब के अन्दर ऑडर्स में जाकर जेनरेट आर0-5बी नम्बर पर क्लिक करें।
5- फर्स्ट नोटिस / ऑर्डर जेनरेशन की स्क्रीन पर टिन नम्बर डाले तथा जेनरेट आर0-5बी नम्बर क्लिक करके आर0-5बी नम्बर जेनरेट करें।
6- आर0-5बी नम्बर वेरिफाई करने के लिए ई -असेसमेण्ट टैब के अन्दर ऑडर्स के अन्दर दिए गए विकल्प वेरिफाई आर0-5बी नम्बर पर क्लिक करें।
7- विविध आदेश जेनरेट करने के लिए ई -असेसमेण्ट ऑडर्स के अन्दर ऑर्डर इंट्री पर जाएं।
8- स्क्रीन पर दिए गए जेनरेट ऑर्डर लिंक पर क्लिक करें।
9- ऑर्डर मेनू स्क्रीन पर जेनरेट ऑर्डर ऑनलाइन के विकल्प में जाकर ऑर्डर मिसलेनियस पर क्लिक करें।
10- विविध आदेश की स्क्रीन में अपलोड इंट्री टेक्स्ट विकल्प का चयन करके फाइल अपलोड करें अथवा टेक्स्ट बॉक्स में विवरण दें। उसके बाद विविध आदेश में दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके विविध आदेश जनरेट करें।

कृपया उक्त निर्धारित प्रक्रिया से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।